उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद–1
संख्या–दो–8–2012, दिनांकः मई 05 , 2012

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी धुलाई भत्ता दिये जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों / इकाइयों में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को रु0 150 / –प्रतिमाह की दर से धुलाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि शासनादेश संख्या 3332 एल / 18–7–88–6(जी–1) / 85, दिनांक 4–11–1988 के अनुसार समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मात्र रु0 12 / – प्रतिमाह वर्दी धुलाई भत्ता अनुमन्य है।

2 उल्लेखनीय है कि पुलिस विभाग के समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को वर्दी धुलाई भत्ता रु0 12 / – के स्थान पर रु0 120 / –की वृद्वि विषयक प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या 3 / क–विविध–2010, दिनांक 7–12–2011 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय की कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नही हुई है।

3. पुलिस मुख्यालय की जानकारी में यह तथ्य आया है कि कतिपय जनपदों / इकाइयों यथा–जनपद लखनऊ, एटा, सी0आई0डी0 एवं एस0टी0एफ0 लखनऊ अदि में चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को वर्दी धुलाई भत्ता रु0 150 / –प्रतिमाह दिया जा रहा है, जो शासनादेश के विरुद्व है। अतः सम्बन्धित कर्मी से वसूली कराया जाय, जब तक शासन द्वारा इन कर्मियों हेतु धुलाई भत्ता में वृद्वि नहीं की जाती है, तब तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को रु0 12 / – ही प्रतिमाह धुलाई भत्ता का भुगतान कराया जाय।

ह0 / –
(अशोक कुमार)
अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
इलाहाबाद।